| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>शेराराम बनाम लो.सू.अ.( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 265 / 2020 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.01.21 | अपीलार्थी शेराराम पुत्र बींजाराम जाति मेघवाल, पता उगुणा बास मथानिया, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.11..20 में उसके द्वारा (1) एस.डी.एम. फलोदी द्वारा सन् 1974 से 1979 तक ग्राम मथानिया, तिंवरी, रामपुरा पंचायत क्षेत्रों में कितने बीघा जमीन आबादी व एस सी एसटी वर्गों को आवंटित की व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी) आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |